न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सत्य नारायण–I (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 190/2022 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2022/422**
दायर दिनांक :– 09.09.2022 **निर्णय दिनांक :– 16.01.2026**

1. अब्दुल मजीद पुत्र मीर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी भाटीयों की ढाणी ननेउ तहसील व जिला फलोदी

–वादी

बनाम

1. गनी खां पुत्र मीरे खां जाति मुसलमान निवासी कानसिंह की सिड तह.बाप जिला फलोदी
2. गफुर खां पुत्र मीरे खां जाति मुसलमान निवासी कानसिंह की सिड तह. बाप जिला फलोदी
3. भीखेखां पुत्र मीरे खां जाति मुसलमान निवासी कानसिंह की सिड तह. बाप जिला फलोदी
4. सफी पुत्र मीरेखां जाति मुसलमान निवासी कानसिंह की सिड तहसील बाप जिला फलोदी
5. समु पत्र मीरेखां जाति मुसलमान निवासी कानसिह की सिड तहसील बाप जिला फलोदी
6. मैनेजर शाखा एस.बी.बी.जे. कानसिंह की सिड तहसील बाप जिला फलोदी
7. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थितः– 1. श्री सिकन्दर खां मंगलिया अधिवक्ता वादी
2. श्री पपुराम मेगवाल अधिवक्ता प्रति सं. 1,2,4
3. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

वादी ने राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का इस आश्य से पेश किया कि ग्राम व पटवार हल्का कानसिंह की सिड में पुराणा खसरा संख्या 239 रकबा 1047–05 बीघा था जो बंटवाड़े के बाद वर्तमान में खसरा संख्या 239/1 रकबा 36.3083 हैक्टेयर का खेत आया हुआ है। दिनांक 03.01.2001 को वादी अब्दुल मजीद ने जरिये विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 1 गनी खां से 12–10 बीघा जो वर्तमान में 2.023425 हैक्टेयर, प्रतिवादी संख्या गफुर खां से 5–00 बीघा जो वर्तमान में 0.80937 हैक्टेयर के बराबर, प्रतिवादी संख्या 4 सफीखां से 12–10 बीघा जो वर्तमान में 2.023425 हैक्टेयर के बराबर है जो तीनों मिलाकर 30–00 बीघा अर्थात 4.85622 हैक्टेयर भूमि खरीद की थी। दिनांक 03.02.2001 को उक्त भूमि वादी द्वारा खरीदने के बाद प्रतिवादीगण संख्या 1, 2 व 4 ने वादी को मौके पर कब्जा भी दे दिया था जिस दिन से आज दिन तक वादी उक्त खसरा पर करीब 4.85622

Satya
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

हैक्टेयर पर कब्जा काश्त चला आ रहा है जिसमें वादी के मौके पर ढाणी टांके बने हुए है और वर्तमान में काश्त की हुई है। ग्राम कानसिंह के खसरा नम्बर 239 में वादी ने अपना विकय पत्र पेशकर नामान्तरकरण की कार्यवाही की तो नामान्तरकरण संख्या 1577 भरा गया मगर भूल से अमल दरामद नहीं हो पाया है जिससे खातेदारी में नाम दर्ज होने से रह गया है। जिससे वादी खातेदार नहीं हो सकता जबकि वादी ने जरिये विकय पत्र के प्रतिवादीगण संख्या 1, 2 व 4 से खरीद की है व खरीद के दिन से मौके पर कब्जा काश्त है। वादी की खातेदारी दर्ज होने में भूल से रह गई उसके बाद में राजस्व रेकर्ड में परिवर्तन हो गया तथा वर्तमान में वादी की खरीदसुदा भूमि कानसिंह की सिड के खसरा नम्बर 239/1 रकबा 36.3083 हैक्टेयर में आती है। जिसमें से वादी अपने विकय पत्र अनुसार खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकारी है।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 3, 5, 6 की और से कोई उपस्थित नहीं आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 की और से अधिवक्ता श्री पपुराम मेगवाल ने वकालतनामा व इकबालिया जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 7 सरकारी पैरोकार ने जवाब प्रस्तुत कर बताया कि ग्राम ग्राम कानसिंह की सिड पटवार हल्का कानसिंह की सिड के खेत खसरा नम्बर 239/1 रकबा 36.3083 हैक्टेयर भूमि को माफिक विकय पत्र एवं पटवारी हल्का की जांच रिपोर्ट अनुसार प्रतिवादीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर वादी को खातेदार घोषित किया जाना उचित है। प्रतिवादीगण की और से वाद का प्रतिरोध नहीं होने से तनकीयात कायम नहीं की गई। वादी ने अपने साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया तथा इनके बयान पी.डब्लू–1 कलमबद्व किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। पत्रावली बहस में रखी गई।

अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुवे कथन किया कि ग्राम व पटवार हल्का कानसिंह की सिड में पुराणा खसरा संख्या 239 रकबा 1047–05 बीघा था जो बंटवाड़े के बाद वर्तमान में खसरा संख्या 239/1 रकबा 36.3083 हैक्टेयर का खेत आया हुआ है। दिनांक 03.01.2001 को वादी अब्दुल मजीद ने जरिये विकय पत्र प्रतिवादी संख्या 1 गनी खां से 12–10 बीघा जो वर्तमान में 2.023425 हैक्टेयर, प्रतिवादी संख्या गफुर खां से 5–00 बीघा जो वर्तमान में 0.80937 हैक्टेयर के बराबर, प्रतिवादी संख्या 4 सफीखां से 12–10 बीघा जो वर्तमान में 2.023425 हैक्टेयर के बराबर है जो तीनों मिलाकर 30–00 बीघा अर्थात 4.85622 हैक्टेयर भूमि खरीद की थी। दिनांक 03.02.2001 को उक्त भूमि वादी द्वारा खरीदने के बाद प्रतिवादीगण संख्या 1, 2 व 4 ने वादी को मौके पर कब्जा भी दे दिया था जिस दिन से आज दिन तक वादी उक्त खसरा पर करीब 4.85622 हैक्टेयर पर कब्जा काश्त चला आ रहा है जिसमें वादी के मौके पर ढाणी टांके बने हुए है

और वर्तमान में काश्त की हुई है। ग्राम कानसिंह के खसरा नम्बर 239 में वादी ने अपना विकय पत्र पेश कर नामान्तरकरण की कार्यवाही की तो नामान्तरकरण संख्या 1577 भरा गया मगर भूल से अमल दरामद नहीं हो पाया है जिससे खातेदारी में नाम दर्ज होने से रह गया है। जिससे वादी खातेदार नहीं हो सकता जबकि वादी ने जरिये विकय पत्र के प्रतिवादीगण संख्या 1, 2 व 4 से खरीद की है व खरीद के दिन से मौके पर कब्जा काश्त है। वादी की खातेदारी दर्ज होने में भूल से रह गई उसके बाद में राजस्व रेकर्ड में परिवर्तन हो गया तथा वर्तमान में वादी की खरीदसुदा भूमि कानसिंह की सिड के खसरा नम्बर 239/1 रकबा 36.3083 हैक्टेयर भूमि में माफिक विकय पत्र दिनांक 03.01.2001 के अनुसार वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का आदेश फरमावें।

अधिवक्ता वादीगण एवं पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद मनन, अवलोकन एवं अध्ययन पाया गया किया प्रतिवादीगण की और से वाद का विरोध नहीं होने पर प्रकरण में तनकीवार विवेचन एवं विशलेषण नहीं किया जाकर वाद का निस्तारण माफिक इस्तदुआ, प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत इकबालिया जवाब दावा अनुसार इस प्रकार है–

ग्राम कानसिंह की सिड पटवार हल्का कानसिंह की सिड तहसील बाप के खसरा नम्बर 239 रकबा 1047–05 बीघा वर्तमान खसरा नम्बर 239/1 रकबा 36.3083 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त भूमि पूर्व खातेदार प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 ने अपने नाम दर्ज भूमि में दर्ज भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ने 12–10 बीघा, प्रतिवादी संख्या 2 ने 5–00 बीघा व प्रतिवादी संख्या 4 ने 12–10 बीघा में वादी को जरिये पंजीबद्व विकय पत्र दिनांक 03.02.2001 को बेचान कर दिया गया था जो पत्रावली के संलग्न पंजीबद्व विकय विलेख दिनांक 03.02.2001 की चित्र प्रति प्रदर्श–4A से स्पष्ट है उक्त पंजीबद्व विकय विलेख किसी भी न्यायालय से आक्षेपित नहीं है। नामान्तरकरण संख्या 1577 के जरिये वादी का नाम दर्ज कर दिया गया परन्तु आगमी जमाबंदी में वादी का नाम दर्ज नहीं किया गया। जामबंदी सम्वत 2077–2080 प्रदर्श–1 के अवलोकन से स्पष्ट है वादी द्वारा कय की गई उक्त भूमि पूर्व खातेदार के नाम ही राजस्व अभिलेख में दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 ने पूर्व में खसरा नम्बर 239 रकबा 1047–05 बीघा भूमि में अपने हिस्से में से वादी को बेचान किया गया था परन्तु वर्तमान मूल खसरा नम्बर का विभाजन हो जाने से नये खसरा नम्बर 239/1 राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। इस संबंध में प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 ने इकबालिया जवाब दावा पेश कर कथन किया कि वादी का वाद माफिक विकय पत्र स्वीकार किये जाने पर कोई एतराज नहीं है। ग्राम कानसिंह की सिड के खसरा नम्बर 239/1 रकबा 36.3083 हैक्टेयर भूमि में माफिक विकय पत्र दिनांक 03.02.2001 के अनुसार वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित है। उपरोक्त विवेचन के आलोक में वाद वादी दस्तावेजात के आधार पर स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना न्यायोचित समझते है।

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः वाद वादी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है कि ग्राम कानसिंह की सिड के खसरा नम्बर 239/1 रकबा 36.3083 हैक्टेयर भूमि में माफिक विक्रय पत्र दिनांक 03.02.2001 के अनुसार वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। **तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि उक्त भूमि रहन मुक्त होने के पश्चात माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना करावें।** पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.01.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Satya..

(सत्य नारायण–I, R.A.S)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाप

पीठासीन अधिकारी :– सत्य नारायण–I (आर.ए.एस.)

1. अब्दुल मजीद पुत्र मीर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी भाटीयों की ढाणी ननेउ तहसील व जिला फलोदी

–वादी

बनाम

1. गनी खां पुत्र मीरे खां जाति मुसलमान निवासी कानसिंह की सिड तह.बाप जिला फलोदी
2. गफुर खां पुत्र मीरे खां जाति मुसलमान निवासी कानसिंह की सिड तह. बाप जिला फलोदी
3. भीखेखां पुत्र मीरे खां जाति मुसलमान निवासी कानसिंह की सिड तह. बाप जिला फलोदी
4. सफी पुत्र मीरेखां जाति मुसलमान निवासी कानसिंह की सिड तहसील बाप जिला फलोदी
5. समु पत्र मीरेखां जाति मुसलमान निवासी कानसिह की सिड तहसील बाप जिला फलोदी
6. मैनेजर शाखा एस.बी.बी.जे. कानसिंह की सिड तहसील बाप जिला फलोदी
7. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मुकदमा संख्या :– 190/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सत्य नारायण–I पीठासीन अधिकारी एवं हाजिर सिकन्दर खान मंगलिया मिनजानिब मुदई व मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं डिगरी दी जाती है कि ग्राम कानसिंह की सिड के खसरा नम्बर 239/1 रकबा 36.3083 हैक्टेयर भूमि में माफिक विक्रय पत्र दिनांक 03.02.2001 के अनुसार वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष प्रविष्टयां यथावत रहेगी। **तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि उक्त भूमि रहन मुक्त होने के पश्चात माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना करावें**।नीचे

मुतालिक बाबत्

खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर फीस सदी सालाना आज की

तारीख

वसूल याबी तक को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16.01.2026 को जारी की गई।

Satya..

(सत्य नारायण–I R.A.S)

सहायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी

बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।